कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला–देहरादून।

संख्या– 1988 / नि.–5 / एक(39) / NLM / 2021–22, दिनांक 15 जुलाई, 2022

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषयः– नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–926 / XV–1 / 2022–1(13) / 2015, दिनांक 15 जुलाई, 2022 द्वारा नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोग न हो पायी धनराशि को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / (33) / PFMS/2022 दिनांक 07 जुलाई, 2022 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–28 में उपलब्ध बजट प्रावधान के सापेक्ष केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना पक्षान्तर्गत ₹ 867.663 लाख तथा केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश पक्षान्तर्गत ₹ 520.00 लाख सहित कुल ₹ 1387.663 लाख की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है। इस धनराशि को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में प्रदिष्ट किया जा रहा है।

(1) भारत सरकार के कार्यालय कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / (33) / PFMS/2022 दिनांक 07 जुलाई, 2022 के क्रम में स्वीकृत / अवमुक्त धनराशि दिनांक 20 जुलाई, 2022 से पूर्व SNA खाते में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक होगा।

(2) स्वीकृत / अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग, दोहरीकरण (Doubling) एवं वित्तीय नियमों का उल्लघन पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(3) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।

(6) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

(7) प्रशासनिक / बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1, बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार को प्रेषित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाय तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(9) योजनान्तर्गत सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाना आवश्यक है।

योजनान्तर्गत Cash & Kind के रूप में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का Digitized Data-base लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर एवं बैंक खाता आदि सहित अवश्य तैयार किया जाय, ताकि DBT Uttarakhand पोर्टल में लाभार्थियों का Digitized Data-base अपलोड किया जा सके तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–25–1(2)/ 2016–AHD(Coord) दिनांक 09–12–16 जिसकी प्रति आपको पूर्व में प्रेषित की गई है, के आधार पर लाभार्थियों की टैगिंग पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिक कोड से भी अवश्य करवाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–28 के आय–व्ययक के आधार पर संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक एवं मानक मदों के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न–एलाटमेंट आई.डी

भवदीय,

(डा. प्रेम कुमार)
निदेशक।

संख्या– 1988 / नि.–5 / एक(39) / NLM / 2022–23, दिनांकित–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साइबर कोषागार, देहरादून।
2– लेखा / पशुधन / संख्या शाखा, मुख्यालय।
3– पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1, एमआईएस, मुख्यालय को विभागीय बेवसाईड में अपलोड करने हेतु।
4– नोडल अधिकारी, एन.एल.एम., मुख्यालय / एस.एन.ए., एन.एल.एम., मुख्यालय
5– संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन, मुख्यालय
6– मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून।
7– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1, सचिवालय–देहरादून।
8– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

(डा. प्रेम कुमार)
निदेशक।